

न्यायालय:- विशेष न्यायाधीश (डकैती), गोहद, जिला भिण्ड  
(समक्ष: पी0सी0आर्य)

विशेष प्रकरण क्रमांक: 11/2015  
संस्थित दिनांक-29.05.2008  
फाईलिंग नंबर-230301001692008

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-  
आरक्षी केन्द्र मालनपुर, जिला-भिण्ड (म0प्र0) -----अभियोजन

वि रू द्ध

1. संजू उर्फ संजीव पुत्र जगदीशसिंह गुर्जर  
उम्र 32 साल निवासी घिरोंगी थाना मालनपुर
2. कईया उर्फ सतीश पुत्र जगदीशसिंह गुर्जर  
उम्र 25 साल निवासी घिरोंगी थाना मालनपुर  
.....आरोपीगण

---

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल विशेष अपर लोक अभियोजक  
आरोपीगण द्वारा श्री गब्बरसिंह गुर्जर अधिवक्ता ।

---

**-:::- निर्णय -:::-**

(आज दिनांक **07 फरवरी 2015** को खुले न्यायालय में घोषित)

1. अभियुक्तगण कईया उर्फ सतीश एवं संजू उर्फ संजीव के विरुद्ध धारा 394 भा0द0वि0 सहपठित धारा-13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के अंतर्गत आरोप है कि उन्होंने दिनांक 19.10.2007 को शाम 5.40 बजे पुलिस थाना मालनपुर जिला भिण्ड क्षेत्र के अंतर्गत कॉम्प्टन ग्रीव्ज फैक्ट्री के समीप आम रास्ते पर फरियादी चतुरसिंह भदौरिया के आधिपत्य से बैग की लूट का प्रयत्न डकैती प्रभावित क्षेत्र में किया और उक्त लूट के प्रयत्न के दौरान उसे स्वेच्छया उपहति कारित की।
2. प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि मामले का फरियादी चतुरसिंह आरोपीगण को घटना के पहले से पहचानता है।
3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है कि फरियादी चतुरसिंह भदौरिया ने थाना मालनपुर पर इस आशय की रिपोर्ट की कि दिनांक 19.10.07 के शाम 5.40 बजे वह फैक्ट्री की शिफ्ट में जाने वाली बस क्रमांक-एम0पी0-07 पी-0122 में शिफ्ट के कर्मचारियों के साथ बैठकर जैसे ही गेट से निकला। करीब बीस मीटर मालनपुर निकला होगा तभी सामने से सफेद स्कार्पियो आयी। बस के सामने लगाकर उसमें हथियारबंद चार लोग उतरे जिसमें संजीव गुर्जर व उसके भाई कईया गुर्जर को वह पहचानता है। संजीव रिवॉल्वर लिये था व कईया बारह बोर की एकनाली बंदूक लिये था।

दोनों ने उसके पास में आकर बस में चढ़कर उसका बैग छीनने लगे। संजू ने उसके सीने पर रिवॉल्वर लगा दी और बोला मादरचोद बैग दे दे। वह चिल्लाया तभी फ़ैक्ट्री के गार्ड व बस में बैठे कर्मचारी चिल्लाने लगे। कईया ने उसकी लात घूंसों से पिटाई की। साथ के दो लडके भी बसवालों पर चिल्ला रहे थे। काफी भीड़ होती देख चारों लोग उसे छोड़कर भाग गये। फिर उसने उसकी सूचना फ़ैक्ट्री मेनेजर चतुर्वेदी को दी। चतुर्वेदी के आने पर रिपोर्ट को आया है।

4. फरियादी चतुरसिंह की उक्त रिपोर्ट पर से थाना मालनपुर में आरोपीगण के विरुद्ध अप.क्र.-130/07 धारा-393 भा0द0वि0 एवं 11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया। एवं विवेचना के दौरान नक्शामौका, जप्ती व आरोपीगण की गिरफ्तारी एवं साक्षियों के कथन इत्यादि की कार्यवाही उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में आरोपीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया।

5. अभियोगपत्र एवं सलग्न प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध के विरुद्ध धारा 394 भा0द0वि0 एवं 13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के अंतर्गत आरोप लगाये जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया। धारा 313 जा0 फौ0 के तहत लिये गये अभियुक्त परीक्षण में रंजिशन झूठा फंसाए जाने का आधार लिया है। उसकी ओर से बचाव में किसी साक्षी का कथन नहीं कराया गया है।

6. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

1. क्या दिनांक 19.10.07 को घटनास्थल डकैती प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता था?
2. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक 19.10.2007 को शाम 5.40 बजे पुलिस थाना मालनपुर में कॉम्प्टन ग्रीव्हज फ़ैक्ट्री के समीप आम रास्ते पर मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 के प्रभावशील रहते हुए फरियादी चतुरसिंह भदौरिया के आधिपत्य से बैग की लूट का प्रयत्न किया और उक्त लूट के प्रयत्न के दौरान उसे स्वेच्छया उपहति कारित की?

**—::—निष्कर्ष के आधार :-**

**विचारणीय प्रश्न क्रमांक— 1 व 2 का निराकरण**

7. उपरोक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिये एवं सुविधा की दृष्टि से एकसाथ किया जा रहा है।
8. अभियोजन की ओर से प्रकरण में डॉ0 आलोक शर्मा (अ0सा0 1), सतपालसिंह भदौरिया (अ0सा0 2), अरविन्दसिंह भदौरिया (अ0सा0 3), चतुरसिंह (अ0सा0 4) अमरसिंह (अ0सा0 5) की साक्ष्य कराई है। आरोपीगण की ओर से

बचाव साक्ष्य में किसी भी साक्षी की साक्ष्य नहीं करायी गयी है तथा अभियोजन की ओर से प्रदर्श पी.-1 लगायत-प्रदर्श पी.-10 के दस्तावेज प्रदर्शित कराये गये हैं ।

9. परीक्षित साक्षियों में से डॉ० आलोकशर्मा अ०सा०-1 ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 20.10.07 को थाना मालनपुर की ओर से प्र०पी०-1 के आवेदन पत्र के साथ आहत चतुरसिंह पुत्र भुजवलसिंह भदौरिया उम्र 55 साल को आरक्षक गुलाबसिंह के हस्ते चोटों की जांच हेतु लाये जाने पर उसका मेडिकल परीक्षण करना बताया है और चतुरसिंह की पीठ पर, बांये बखौरा के नीचे गूमरा (कन्ट्र्यूजन) की चोट पाई थी। जो किसी कडी व मौथरी वस्तु से परीक्षण के 24 घण्टे के भीतर की थी जिसकी उसने प्र०पी०-2 की मेडिकल रिपोर्ट तैयार की गई थी।
10. उक्त चिकित्सक साक्षी ने अपने अभिसाक्ष्य में आहत चतुरसिंह का परीक्षण उसने सुबह 11.00 बजे किया था। आहत की चोट किसी मौथरी सतह पर पीठ के बल गिरने की दशा में आने की संभावना व्यक्त की है। अभियोजन कथानक मुताबिक घटना दिनांक 19.10.07 के शाम 5.40 बजे की बताई गई है जिससे चतुरसिंह की चोट चिकित्सक की राय मुताबिक बताई गई घटना के समय की होना प्रतीत होती है।
11. अब प्रकरण में यह देखना है कि क्या आरोपीगण द्वारा उक्त घटना डकैती प्रभावित क्षेत्र में घटित की गई और चतुरसिंह के आधिपत्य में उसका बैग लूटने का प्रयत्न करते हुए उसमें उक्त उपहति कारित की गई या नहीं? यह प्रत्यक्ष और परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर विश्लेषित करना होगा।
12. अभियोजन कथानक मुताबिक मूलतः जो घटना बताई गई है उसके मुताबिक फरियादी चतुरसिंह घटना दिनांक 19.10.07 को कॉम्प्टन ग्रीड्ज फ़ैक्ट्री मालनपुर में चीफ़ सिक्योरिटी ऑफीसर था। और वह फ़ैक्ट्री की शिफ्ट में जाने वाले कर्मचारियों की बस में कर्मचारियों के साथ बैठकर जाने के लिये जैसे ही गेट से निकला और 20 मीटर बाद ही एक अन्य स्कार्पियो गाडी ने बस के सामने आकर बस को रोक दिया और हथियारबंद चार लोग उसमें से निकले थे। जिनमें संजीव गुर्जर व उसका भाई कईया गुर्जर जिन्हें वह पहले से पहचानता था, वे रिवॉल्वर व बारह बोर की बंदूक लिये थे जिन्होंने बस में आकर उसका बैग छीनने का प्रयास किया था। कईया ने बैग छीनने का प्रयास किया और संजू ने उसके सीनी पर रिवॉल्वर लगा दी थी। तथा मादरचोद की गाली देते हुए बैग देने को कहा तब वह चिल्लाया तो फ़ैक्ट्री के अन्य गार्ड व बस के कर्मचारी भी चिल्लाने लगे। कईया ने उसकी लात घूंसों से भी मारपीट की। फिर भीड देखकर वे लोग भाग गये थे। प्र०पी०-5 की एफ०आई०आर० मुताबिक फ़ैक्ट्री के कर्मचारियों का साथ होना और अन्य गार्डों का आ जाना बताया गया है।
13. अभियोजन की ओर से फरियादी चतुरसिंह को अ०सा०-4 के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिसने अपनी अभिसाक्ष्य में आरोपीगण संजीव और कईया को पहचानते हुए यह कहा है कि दिनांक 19.10.07 को वह कॉम्प्टन ग्रीड्ज फ़ैक्ट्री मालनपुर से ड्यूटी करके अपने घर ग्वालियर बस से जा रहा था तो

रास्ते में मालनपुर तिराहे के पास 3-4 लोग बस में चढ़ आये थे और उन्होंने चालक व क्लीनर से झगडा किया था तो बस चालक ने बस को ले जाकर मालनपुर थाने में रख दिया था तो उक्त लोग भाग गये थे। उसके बाद बस वाले ने रिपोर्ट लिखाई थी। प्र0पी0-5 की रिपोर्ट पर उसने ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये हैं किन्तु रिपोर्ट लिखाने से इन्कार किया है और यह कहा है कि बस चालक ने लिखाई होगी।

14. अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी को पक्ष विरोधी बताते हुए प्रतिपरीक्षा की भांति पूछे गये सूचक प्रश्नों में उसने प्र0पी0-5 की एफ0आई0आर0 में बताये गये कथानक से स्पष्ट रूप से इन्कार करते हुए प्र0पी0-5 की रिपोर्ट लिखाने से भी इन्कार किया है। और पुलिस द्वारा उसके समक्ष नक्शामौका बनाये जाने से भी इन्कार किया है। प्र0पी0-6 का भी पुलिस कथन देने से इन्कार करते हुए पैरा-3 में कहा है कि बस वाले थाने पर रिपोर्ट लिखाकर चले गये थे और कोई नहीं था और पुलिस ने उसके प्र0पी0-5 पर हस्ताक्षर करा लिये थे कि कोई नहीं है आप हस्ताक्षर कर दो तो उसने हस्ताक्षर कर दिये थे। पुलिस ने उसे रिपोर्ट पढकर नहीं सुनाई थी। झगडा करने वालों में न्यायालय में उपस्थित आरोपीगण नहीं थे। न उसने उनको देखा था। इस तरह से चतुरसिंह अ0सा0-4 के द्वारा प्र0पी0-5 की एफ0आई0आर0 के वृतांत का आरोपीगण के विरुद्ध समर्थन नहीं किया है। उसकी अभिसाक्ष्य से आरोपीगण को वह पहले से पहचानता है जिन्हें उसने घटना में होने से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है जिससे अन्य परीक्षित अभियोजन साक्षियों की अभिसाक्ष्य की अत्यंत सूक्ष्मता पूर्वक विश्लेषण और मूल्यांकन की आवश्यकता हो जाती है।
15. सतपालसिंह भदौरिया अ0सा0-2 और अरविन्दसिंह भदौरिया अ0सा0-3 को अभियोजन ने चक्षुदर्शी साक्षी बताते हुए पेश किया है जिन्होंने ही अपनी अभिसाक्ष्य में प्र0पी0-5 में बताई मूल घटना का समर्थन नहीं किया है और आरोपीगण के विरुद्ध साक्ष्य नहीं दी है। दोनों ने यह तो स्वीकार किया है कि वे मालनपुर में कॉम्प्टन ग्रीव्हज फैक्ट्री में सुरक्षा गार्ड की नौकरी करते थे। दिनांक 19.10.07 को उनकी ड्यूटी थी और फैक्ट्री की बस क्रमांक-एम0पी0-07 पी-0122 जो फैक्ट्री के कर्मचारियों को लेकर ग्वालियर जाती थी, चतुरसिंह उनके यहाँ मुख्य सुरक्षा अधिकारी था किन्तु चतुरसिंह के साथ घटना उनके सामने नहीं हुई। और न उन्हें कोई जानकारी है। तथा चतुरसिंह ने संजीव व कईया के द्वारा कोई घटना कारित करना उन्हें नहीं बताया था। सतपाल अ0सा0-2 ने प्र0पी0-3 और अरविन्दसिंह अ0सा0-3 ने प्र0पी0-4 के पुलिस को कथन देने से इन्कार किया है। ऐसी स्थिति में अभियोजन की घटना का आहत चतुरसिंह व दोनों चक्षुदर्शी साक्षियों में से किसी ने भी कोई समर्थन नहीं किया है और उनके अलावा अभियोजन की ओर से घटना के विवेचक अमरसिंह अ0सा0-5 को ही और परीक्षित कराया गया है इसलिये यह देखना होगा कि क्या विवेचक की अभिसाक्ष्य से कोई तथ्य प्रमाणित होता है।
16. दिनांक 19.10.07 की घटना बताई गई है और मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 जिसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश है और घटनास्थल मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र जिला भिण्ड के अंतर्गत आता है जो

कि न्यायिक नोटिस की विषयवस्तु है। तथा उक्त अधिनियम की धारा-3 के अंतर्गत जिला भिण्ड का क्षेत्र डकैती प्रभावित घोषित किया गया है, इससे यह तो प्रमाणित होता है कि घटना दिनांक को प्र०पी०-5 की एफ०आई०आर० में बताये गये घटनास्थल वाला स्थान डकैती प्रभावित क्षेत्र था। किन्तु अ०सा०-1 लगायत 4 के अभिसाक्ष्य से चतुरसिंह के साथ आरोपीगण के द्वारा कोई घटना लूट के प्रयत्न की कारित की गई हो, ऐसा प्रमाणित नहीं है।

17. टी०आई० अमरसिंह अ०सा०-5 ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 19.10.07 को थाना मालनपुर का प्रभारी पदस्थ रहते हुए फरियादी चतुरसिंह के द्वारा अपने साथी जयेन्द्रनाथ के साथ थाने आकर इस आशय की रिपोर्ट करना बताया है कि जब वे कॉम्प्टन ग्रीव्हज की बस में बैठकर आ रहे थे तो फैक्ट्री से 20 मीटर दूर निकलने के बाद ही चार हथियारबंद बदमाशों ने बस में आकर बैग छीनने का प्रयास किया था और चिल्लाने पर फैक्ट्री से अन्य सिक्क्योरिटी गार्ड आ गये, उनके आने से बदमाश भाग गये थे। चतुरसिंह ने उसकी रिपोर्ट लिखाई थी और उसके कहे अनुसार ही उसने आरोपीगण संजीव एवं कईया के विरुद्ध प्र०पी०-5 की एफ०आई०आर० लेखबद्ध कर अपराध दर्ज किया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने घटना का अनुसंधान करना भी बताया है जिसमें फरियादी चतुरसिंह की निशादेही पर प्र०पी०-7 का नक्शामौका तैयार करना और उससे ही काले रंग का एक बैग जिस पर लाल रंग से ओ०के०ई०वाय० लिखा हुआ था और अरविन्द, सत्यपाल व चतुरसिंह के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध करना बताया है। आरोपीगण की प्र०पी०-9 व 10 के द्वारा गिरफ्तारी अन्य ए०एस०आई० व्ही०पी० द्विवेदी के द्वारा करना बताया है। इस बात से इन्कार किया है कि चतुरसिंह ने उसे प्र०पी०-5 की एफ०आई०आर० नहीं लिखाई न प्र०पी०-6 का कथन दिया तथा इस बात से इन्कार किया है कि सत्यपाल और अरविन्द ने प्र०पी०-3 व 4 के कथन भी उसे नहीं दिये।

18. अमरसिंह अ०सा०-5 की कार्यवाही फरियादी चतुरसिंह और साक्षी सत्यपाल व अरविन्द पर आधारित है किन्तु उक्त तीनों ही प्रकरण के अत्यंत महत्वपूर्ण साक्षी हैं जिनमें से सत्यपाल और अरविन्द ने तो घटना के समय किसी भी प्रकार की कोई जानकारी होने से इन्कार किया है न ही उन्हें चतुरसिंह द्वारा घटना बताई गई है। चतुरसिंह ने भी आरोपीगण के द्वारा उसके साथ बैग छीनने की घटना से इन्कार किया है। ऐसे में अ०सा०-5 औपचारिक स्वरूप का साक्षी हो जाता है और उसके अभिसाक्ष्य के आधार पर प्र०पी०-5 की एफ०आई०आर० में बताये गये कथानक का कोई भी अंश प्रमाणित नहीं होता है। क्योंकि चतुरसिंह ने तो नक्शामौका की कार्यवाही उसके सामने होने से भी इन्कार कर दिया है। ऐसे में अ०सा०-5 की अभिसाक्ष्य से विचाराधीन आरोप प्रमाणित नहीं हो सकता है।

19. इस प्रकार से उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि दिनांक 19.10.07 को शाम 5.40 बजे कॉम्प्टन ग्रीव्हज फैक्ट्री के समीप आम रास्ते पर मालनपुर में चतुरसिंह भदौरिया के आधिपत्य से बैग की लूट का प्रयत्न करते हुए उसे स्वेच्छया उपहति कारित की गई। फलतः मामला संदिग्ध होने से आरोपीगण को संदेह

का लाभ देते हुए भा0द0वि0 की धारा-394 सहपठित धारा 13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

20. आरोपी सतीश उर्फ कईया न्यायिक निरोध में है अतः उसके जेलवारण्ट पर नोट लगाया जावे कि उसे इस प्रकरण में दोषमुक्त किया जा चुका है। अतः यदि उसकी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे इस प्रकरण में अविलंब रिहा किया जावे।
21. आरोपी संजीव उर्फ संजू के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
22. जप्तशुदा काले रंग का बैग खाली होकर मूल्यहीन है, अतः अपील अवधि उपरान्त नष्ट किया जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निराकरण किया जावे।
23. निर्णय की एक प्रति जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को भेजी जाये।

दिनांक: 07 फरवरी 2015

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर मेरे बोलने पर टंकित किया गया।  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

(पी.सी. आर्य)  
विशेष न्यायाधीश (डकैती)  
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)  
विशेष न्यायाधीश (डकैती)  
गोहद जिला भिण्ड